बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–(बैठक)–02 / 2017– 3968 खाद्य, पटना / दिनांक– 16.08.18

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– **राज्य में गठित जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति की मासिक बैठक का प्रतिवेदन प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– 1. निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार का पत्रांक 9(1)/2016-PD-II दिनांक– 23.01.2018
2. विभागीय पत्रांक 1370 दिनांक 15.03.2018 एवं स्मार पत्रांक–2165 दिनांक 08.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–29 एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका–7(4) तथा बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की पारदर्शिता एवं उचित कार्यकरण हेतु कृत्यकारियों की जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सतर्कता समिति का गठन विभागीय अधिसूचना सं0–3614 दिनांक 25.07.2017 द्वारा करते हुए प्रत्येक माह सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया जाना प्रावधानित किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभाग को निदेशित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के पश्चात् गत वर्ष में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय क्षेत्र के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति की मासिक बैठक से सम्बन्धित सूचना जिलों से प्राप्त किया जाय। विदित हो कि बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता / बैठक भत्ता के भुगतान हेतु प्रति वर्ष आवंटन सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये आवंटन के विरूद्ध व्यय की गई राशि का प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–29 एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की

कंडिका–7(4) तथा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में निर्गत अधिसूचना सं0–3614 दिनांक 25.07.2017 में दिये गये प्रावधानों के आलोक में सतर्कता समिति के साथ–साथ अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक प्रत्येक माह में आयोजन कराते हुए तत्सम्बन्धी सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

14/8/18

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–(बैठक)–02 / 2017– 3968 खाद्य, पटना / दिनांक– 16.08.18

प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/18

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र07–(बैठक)–02 / 2017– 3968 खाद्य, पटना / दिनांक– 16.08.18

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके गैर सरकारी प्रेषण संख्या–456(का0) दिनांक–27.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/18

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:\M_2016\Sec_7\PDS_Letter.doc